न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 16/2004/223 आर टी ए

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सार्दुलसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आवंटन आदेश क्रमांक 26 दिनांक 24.12.01 न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट भादरा

उपस्थित :–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–29.01.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर रोही मौजा रासलाना के खसरा नं. 350 की 3 बीघा भूमि को काश्त योग्य बताते हुए व स्वयं वाद भूमि पर काबिज होना दर्शाकर वाद भूमि को अपने पक्ष मे आवंटन करवाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना साक्ष्य का अवसर दिये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत पारित किया गया जो खारिज योग्य है। रेस्पो0 ने अपीलांट को धारा 80 सीपीसी का कानूनी नोटिस दिए बिना ही एकतरफा आदेश पारित करवाया है। वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जा काश्त मे ना तो कभी पूर्व मे रही है एवं ना ही अपनी कृषि भूमि का विस्तृत विवरण दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है अस्वीकार है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनकर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर राजस्व अभियान मे पारित किया गया है। अपीलांट ने अपीलाधीन

निर्णय की प्रमाणित प्रति के बिना अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र देकर निर्णय की प्रमाणित प्रति के बिना अपील प्रस्तुति हेतु मिथ्या कथनो के आधार पर छूट प्राप्त की है। प्रमाणित प्रति अपीलाधीन निर्णय के प्रस्तुति की छूट हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मे अंकित तथ्य किसी प्रकार से सिद्ध नही है एवं मियाद निकल जाने के बाद भी आज दिनांक तक निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की है। अपीलाधीन निर्णय के पश्चात प्रश्नगत भूमि की खातेदारी सनद भी दिनांक 19.07.2003 को जारी कर दी गई ऐसी स्थिति मे अपील का कोई औचित्य नही रहा है। इसके अतिरिक्त अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा के आवंटन के आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई तथा उपखण्ड अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। रेस्पो0 ने कथन किया है कि अपीलांट का यह कथन की अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, मिथ्या कथन है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की उपस्थिति मे पारित किया गया है एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत पारित किया गया है जिसमे सभी अधिकारी मौजूद रहते है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को रही है परन्तु अपीलांट ने आदिनांक तक अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्यं अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है। अपील मे प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट की अभिकथनो की पुष्टि नही होती है। आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहा है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 24.12.2001 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ